न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 62/2024

01. राजू लाल शर्मा पुत्र कान्ती प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा कामां तहसील कामां जिला डीग राज0

......प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कामां जिला डीग राज0

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128

136 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थित अधिवक्ता :- श्री देवेन्द्र सिंह दायमा

निर्णय

दिनांक 24.01.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी भूमि साविक खसरा नम्बर 6654/0.25, 6654/1/0.50, 6654/2/0.55 हैक्टर बांके कस्वा कामां नं0 3 तहसील कामां में स्थित है। जिसके बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2710/0.25, 2709/0.33, 2709/2921/0.17, 2711/0.01, 2712/0.54 हैक्टर कायम किये गये है। नकल जमाबन्दी, बन्दोबस्त सम्वत 2074-77 किता-4, नकल जमाबन्दी साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2067-70 किता-3 नकल नक्शा बन्दोबस्त किता-1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। साविक खसरा नम्बर 6654/1/0.50 का बटवारा जरिये अदालत से हुआ था जिसका नामान्तरण संख्या 2779 दिनांक 05/05/2012 में उक्त खसरा नम्बर के दो टुकडे किये गये और साविक खसरा नम्बर 6654/6781/0.33, 6654/6782/0.17 कायम हुये जिनके बन्दोबस्त विभाग ने नवीन खसरा नम्बर 2709/0.33, 2709/2921/0.17 कायम किये है। साविक खसरा नम्बर 6654, 6654/1, 6654/2 को सेफ लम्बाई में उत्तर से दक्षिण है यानि कि साविक खसरा नम्बरान लम्बाई में स्थित है जो कि कामां से छिछरवाडी जाने वाली रोड पर स्थित है। साविक खसरा नम्बर 6654/2/0.55 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि है जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 2711/0.01, 2712/0.54 कायम किये है जो कि साबिक खसरा नम्बर 6654/0.25 हाल नम्बर 2710/0.25 के उत्तर में व साविक खसरा नम्बर 6654/1/0.50 हाल नम्बर 2709/0.33, 2709/2921/0.17 के दक्षिण में स्थित है। यानि की साविक खसरा नम्बर व हाल नम्बर 6654/2/0.55 हाल नम्बर 2711/0.01, 2712/0.54 साविक खसरा नम्बर 6654/0.25 हाल 2710/0.25 व साविक खसरा नम्बर 6654/1/0.50 हाल नम्बर 2709/0.33, 2709/2921/0.17 के मध्य में स्थित है और प्रार्थी का मौके पर इसी कदर कब्जा व काश्त है व अन्य काश्तकारों का कब्जा भी मुताबिक साविक खसरा नम्बर के मौके पर कब्जा व काश्त

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 6654/0.25, 6654/2/0.55 के नये खसरा नम्बरान कायम करते समय तैयार किये गये नक्शे में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से लापरवाही पूर्ण तरीके से नये खसरा नम्बर 2710 को नये नक्शे में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका कब्जा के प्रार्थी के खसरा नम्बर 2711, 2712 में उत्तर दिशा में गलत दर्ज कर दिया है। उक्त खसरा नम्बर 2710 प्रार्थी के खसरा नम्बर 2711, 2712 के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा मौके पर भी प्रार्थी के खसरा नम्बर 2711, 2712 के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 2711 व 2712 नये बन्दोबस्ती नक्शा में गलत दर्ज होने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी हो रही है। विधि वजह प्रार्थी बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शे में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2711 व 2712 व खसरा नम्बर 2710 जो अन्य खातेदार का है जिसे भी मौका व कब्जानुसार दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे को संशोधित किया जावे कि खसरा नम्बर 2710 को व प्रार्थी को खसरा नम्बर 2711, 2712 को संशोधित कर हाल मौका कब्जानुसार खसरा नम्बर 2710 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2711, 2712 के दक्षिण में स्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार कामां द्वारा अपने पत्र क्रमांक :भू0अ0/2025/86 दिनांक 17.01.2025 से अवगत कराया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067-70 में खसरा नम्बर 6654 को चार भागों में बांटा गया था, जिसमें आराजी खसरा नम्बर 6654/0.25 है0 मदनमोहन मुरारीलाल पिसरान सूरजभान हि0 3/10 जगदीश प्रसाद पुत्र शिवचरन लाल हि0 3/20 बाबुलाल पुत्र भजनलाल हि0 2/5 जाति ब्राहम्ण अमरनाथ-जगदीश प्रसाद-प्रहलाद पिसरान मदनगोपाल, रतनदेई पत्नी मदन गोपाल, सुशीला पुत्री मदन गोपाल हि0 3/20 जाति वैश्य साकिन कामां खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। आराजी खसरा नम्बर 6654 मिन/0.17 है0 ममता पत्नी धर्मेन्द्र जाति गूर्जर सा. कामां खातेदार आराजी खसरा नम्बर 6654 मिन/0.33 है0 जगन-गिर्राज पिसरान मंगतू जाति गूर्जर सा.मुल्लाका खातेदार तथा आराजी खसरा नम्बर 6654 मिन/0.55 है0 रामलाल पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण सा.कामां दर्ज रिकॉर्ड था। हल्का पटवारी कस्वा कामां 3 के अनुसार उनके पास साबिक नक्शा लठ्ठा उपलब्ध नही है, इसलिए तरमीम का वर्णन किया जाना सम्भव नही है। मुताबिक पटवारी हल्का के साबिक नम्बरान का बन्दोबस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बरान निम्न प्रकार बनाए कि साबिक खसरा नम्बर 6654/0.25 का हाल खसरा नम्बर 2710/0.25 बनाया गया है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 208 पर विरासत एवं बेचान होने के बाद अमरनाथ, जगदीश प्रसाद पिसरान मदनगोपाल, सुशीला पुत्री मदनगोपाल जाति वैश्य हि0 3/20, बाबूलाल पुत्र भजनलाल हि0 2/5 जाति ब्राहम्ण सा.कामां खातेदार, शुभम सोनी पुत्र जगदीश सोनी हि0 9/20 जाति सोनी सा. कामां खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नम्बर 6654/0.17 का हाल खसरा नम्बर 2709/2921/0.17 है0 बनाया गया हे, जो जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 553 पर ध्रुव बंसल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति वैश्य सा. कामां खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नम्बर 6654/0.33 है0 का हाल खसरा नम्बर 2709/0.23 बनाया गया है जो मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 210 पर गिर्राज-जगन पिसरान मंगतू जाति गुर्जर सा.मुल्लाका खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। साबिक खसरा नम्बर 6654 मिन/0.55 है0 का हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

नम्बर 2711/0.01, 2712/0.54 किता 2 कुल रकवा 0.55 हे0 बनाया गया है जो जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खसरा नम्बर 1104 पर ध्रुव पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/2 जाति वैश्य सा. कामां तथा राजूलाल पुत्र कान्ती प्रसाद हि0 1/2 जाति ब्राहम्ण सा0 कामां खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त नजरी नक्शा खातेदारो की उपस्थिति में तैयार किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2710/0.25 के अनुसार 0.55 हैक्टे0 पर ध्रुव पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/2 जाति वैश्य सा0 कामां एवं राजूलाल पुत्र कान्ती प्रसाद हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 कामां काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 2712/0.24 व 2711/0.01 में आराजी खसरा नम्बर 2712/0.54 के स्थान पर 0.24 है0 पर बाबूलाल पुत्र भजनलाल हि0 2/5 जाति ब्राहम्ण सा. कामां शुभम पुत्र जगदीश सोनी हि0 9/20 अमरनाथ-जगदीश प्रसाद पिसरान मदनगोपाल, सुशीलाल पुत्री मदनगोपाल हि0 3/20 जाति वैश्य सा. कामां खातेदार काबिज है। अतः ग्राम कस्वा कामां 3 के हाल खसरा नम्बर 2710/0.25 है0 के स्थान पर 0.55 है0 उत्तर दिशा में तथा खसरा नम्बर 2712/0.54 है0 के स्थान पर 0.24 हैक्टे0 दक्षिण दिशा खसरा नम्बर 2711/0.01 गै0मु0 चाह आराजी खसरा नम्बर 2712 के अन्दर रहेगा। मुताबिक कब्जा व मौका अनुसार शुद्धि की अभिशंषा की जाती है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे को संशोधित किया जावे कि खसरा नम्बर 2710 को व प्रार्थी को खसरा नम्बर 2711, 2712 को संशोधित कर हाल मौका कब्जानुसार खसरा नम्बर 2710 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2711, 2712 के दक्षिण में स्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा तहसीलदार कामां से प्राप्त रिपोर्ट में ग्राम कस्वा कामां 3 के हाल खसरा नम्बर 2710/0.25 है0 के स्थान पर 0.55 है0 उत्तर दिश में तथा खसरा नम्बर 2712/0.54 है0 के स्थान पर 0.24 हैक्टे0 दक्षिण दिशा खसरा नम्बर 2711/0.01 गै0मु0 चाह आराजी खसरा नम्बर 2712 के अन्दर रहेगा। मुताबिक कब्जा व मौका अनुसार प्रेषित नक्शा ट्रेश के साथ शुद्धि की अभिशंषा किये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :: -

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 को स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2710 / 0.25 हैक्टेयर के स्थान पर 0.55 हैक्टेयर उत्तर दिशा में तथा खसरा नम्बर 2712 / 0.54 हैक्टेयर के स्थान पर 0.24 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में तथा खसरा नम्बर 2711 / 0.01 गै0मु0चाह आराजी खसरा नम्बर 2712 के अन्दर मुताबिक तहसीलदार कामां से प्राप्त नक्शा ट्रेश के शुद्ध किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार कामां को निर्णय प्रति पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24 / 01 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०